



2026:AHC:165731

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 27598 वर्ष 2026

दीपक कुमार उर्फ डी. के.

.....आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : राजेश कुमार सिंह

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार सिंह और राज्य की ओर से विद्वान एजीए-1 श्री विजय कुमार की बात सुनी गई।
- यह जमानत याचिका मामले अपराध संख्या 16/2026, धारा 190, 191(2), 191(3), 103(1), 3(5), 61(2)का बीएनएस, पुलिस स्टेशन ट्रांस यमुना, जिला आगरा में मुकदमे की लंबितता के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर की गई है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि एफआईआर में किसी का नाम नहीं था, लेकिन जांच के दौरान विनय को आरोपी बनाया गया और जब पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया तो उसने आवेदक का नाम बताया। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में यह स्पष्ट है कि आवेदक को धारा 61(2) बीएनएस की सहायता से आरोपी बनाया गया है, लेकिन सह-आरोपी के बयान और पुलिस के समक्ष आवेदक के इकबालिया बयान के अलावा, आवेदक के खिलाफ साजिश रचने का भी कोई ठोस सबूत रिकॉर्ड पर नहीं है।
- उन्होंने आगे निवेदन किया कि मामले के सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद भी सह-आरोपी रोहित उर्फ फौजी को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.07.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 20371/2026 में पारित आदेश के माध्यम से जमानत पर रिहा कर दिया गया है और तथ्यों के आधार पर आवेदक का मामला उसके समान है।
- उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान मामले के अलावा आवेदक का एक अन्य मामले में भी आपराधिक इतिहास है, लेकिन उनके आपराधिक इतिहास को इस जमानत आवेदन में स्पष्ट किया गया है और वर्तमान मामले में वह 03.06.2026 से जेल में हैं।
- इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों पर दिए गए तर्क का खंडन नहीं कर सके।
- मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और मामले के अभिलेखों का अध्ययन किया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

8. इससे पता चलता है कि इस मामले की एफआईआर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई थी, लेकिन जांच के दौरान सह-आरोपी विनय के पुलिस द्वारा दर्ज किए गए बयान के आधार पर आवेदक को आरोपी बनाया गया है। हालांकि, अभियोजन पक्ष के अनुसार, आवेदक अन्य आरोपियों के साथ मिलकर साजिश रचने में शामिल था, लेकिन सह-आरोपी के बयान और पुलिस के समक्ष आवेदक के इकबालिया बयान के अलावा, इस संबंध में आवेदक के खिलाफ कोई अन्य सबूत रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है।

9. इसके अलावा, सह-आरोपी रोहित उर्फ फौजी को भी इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया है और आवेदक का मामला उसके समान ही है।

10. इसके अलावा, वर्तमान मामले के अलावा आवेदक का एक अन्य मामले में भी आपराधिक इतिहास है, लेकिन उसके आपराधिक इतिहास को इस जमानत आवेदन में स्पष्ट किया गया है और वर्तमान मामले में वह 03.06.2026 से जेल में है।

11. अतः, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

12. तदनुसार, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, तत्काल जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

13. आवेदक - **दीपक कुमार उर्फ डी. के.** को उपरोक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

14. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

15. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे की सुनवाई के दौरान मामले की खूबियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

7 अगस्त, 2026

एके पांडे

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

Translated Judgment. Not for Legal Use.